

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
-::कार्यालय आदेश::-

का0आ0-15/बि0स0से0-03-01/2023(खंड) सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक...15-1-24

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को ए0एन0एम0 (विज्ञापन संख्या-07/2022) के काउंसिलिंग कार्य हेतु दिनांक-18.01.2024 के अपराहन से 02.02.2024 तक के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

| क्र.सं. | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम एवं सि.लि.क्र. | वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नाम |
|---------|---|--|
| 1 | श्री मनोज कुमार, 1274/23 | श्रम संसाधन विभाग |
| 2 | श्री नीरज कुमार, 1361/23 | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
| 3 | श्री राजीव कुमार, 1501/23 | विश्वविद्यालय सेवा आयोग |
| 4 | श्री अनंत कुमार, 1587/23 | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग |
| 5 | श्री मिथिलेश कुमार, 1599/23 | सहकारिता विभाग |
| 6 | श्री जय शंकर प्रसाद, 1608/23 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग |
| 7 | श्री चन्द्रमणि भारती, 1616/23 | अनु0जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग |
| 8 | श्री राजेश कुमार, 1622/23 | स्वास्थ्य विभाग |
| 9 | श्री संजीव कुमार, 1641/23 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग |
| 10 | श्री कुन्दन कुमार गुप्ता, 1662/23 | मत्स्य निदेशालय |
| 11 | श्री रवि कुमार, 1680/23 | बिहार राज्य खाद्य आयोग |
| 12 | श्री कुमार सुधाशुं, 1718/23 | उद्योग विभाग |
| 13 | श्री पंकज कुमार राम, 1763/23 | भवन निर्माण विभाग |

१५.०१.२०२४
(केशव कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-01/2023(खंड) सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक...15-1-24

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, श्रम संसाधन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, अनु0जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, मत्स्य निदेशालय, बिहार राज्य खाद्य आयोग, उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित विभाग/कार्यालय से यह भी अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यदि अवकाश/ प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्य का निष्पादन कर रहे हो तो विभाग/कार्यालय यदि चाहें तो उनके स्थान पर किसी अन्य सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से आयोग कार्यालय में करते हुए इस विभाग को सूचित करेंगे। साथ ही प्रतिनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि संबंधित विभाग/कार्यालय